एडीजी(क्राइम)परिपत्र संख्या- 06 /2018

चन्द्र प्रकाश
आई0पी0एस0

अपर पुलिस महानिदेशक(अपराध),
उत्तर प्रदेश
1–तिलक मार्ग, लखनऊ।
दिनांकः लखनऊः मई 22 ,2018

प्रिय महोदय/महोदया,

जैसा कि आप अवगत हैं कि प्रदेश के जनपदों में स्थापित अपराध शाखा(Crime Branch) के संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून–व्यवस्था, उ0प्र0 के परिपत्र संख्या–03/2013, दिनांकित 14.03.2013 द्वारा जनपदों में नियुक्त अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक, अपराध के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के निर्धारण का आदेश निर्गत किया गया था। तत्पश्चात् तत्कालीन पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या–32/2013, दिनांकित 01.07.2013 एवं परिपत्र संख्या–75/2013, दिनांक 31.12.2013 द्वारा उपरोक्त अंकित यूनिट के कार्यों के संबंध में विस्तृत आदेश जारी किये गये हैं, जिनमें कतिपय विशिष्ट प्रकार के अपराधों की विवेचना अपराध शाखा को हस्तान्तरित किये जाने का उल्लेख है।

यह देखा जा रहा है कि जनपदों में अपराध शाखा द्वारा अपेक्षित रूप से आवंटित कार्यों का निष्पादन नहीं किया जा रहा है तथा उनको सुपुर्द किये गये कार्यों में अपेक्षित गुणवत्ता का अभाव परिलक्षित हो रहा है। इसका कारण वर्तमान परिवेश में साइबर अपराधों में उत्तरोत्तर वृद्धि एवं तद्नुरूप नियतन/संसाधन का न होना है। अपराध शाखा की विभिन्न इकाईयों/प्रकोष्ठों के कार्य एवं उत्तरदायित्व में भी स्पष्टता का अभाव है, जिसके सापेक्ष संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है। अतएव पूर्व के परिपत्रों में दिये गये निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए निम्नानुसार निर्देश अनुपालनार्थ प्रेषित किये जा रहे हैंः–

प्रचलित व्यवस्था के अनुसार अभी तक मात्र जनपद मुख्यालय पर ही अपराध शाखा कार्यरत थी। अब यह निर्णय लिया गया है कि जनपद मुख्यालय के अतिरिक्त प्रत्येक थानो पर भी अपराध शाखा कार्यरत होगी, जिसके द्वारा सौपे गये अभियोगों की विवेचना का कार्य किया जायेगा। जनपद के प्रत्येक थाने के उपलब्ध पुलिस बल का 20 प्रतिशत विवेचना कार्य के लिए उपलब्ध रहेगा, जिसके लिये थाने में ही एक कार्यालय कक्ष आवंटित होगा । वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक का दायित्व होगा कि प्रत्येक थाने में अपराध शाखा के लिए समुचित संसाधन जैसे कुर्सी, मेज, आलमारी इत्यादि उपलब्ध करायेंगे।

संगठनात्मक ढांचा

क्राइम ब्रान्च का संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार होगाः–

क– **अभिसूचना इकाई (Intelligence Unit)**
1–आपराधिक अभिसूचना प्रकोष्ठ (Criminal Intelligence Cell)
2–सर्विलांस प्रकोष्ठ (Surveilance Cell)

ख– **विवेचना इकाई (InvestigationUnit)**
1–गम्भीर अपराध प्रकोष्ठ (Serious CrimeCell)
2–आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (Financial Fraud Cell)
3–संगठित अपराध प्रकोष्ठ (Organised Crime Cell)
4–साइबर अपराध प्रकोष्ठ (Cyber Crime Cell)

Scanned by CamScanner

ग– **सहवर्ती इकाई (Support Unit)**

1–डिस्ट्रिक क्राइम रिकार्ड ब्यूरो (DCRB)
2–एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU)
3–किशोर न्याय एवं कल्याण इकाई (Juvenile Justice Unit)
4–गुमशुदा व्यक्ति प्रकोष्ठ (Missing Person Cell)
5–नारकोटिक्स सेल (Narcotics Cell)
6–डॉग स्क्वायड (Dog Squad)
7–फोरेंसिक साइंस फील्ड यूनिट (Forensic Science Field Unit)
8–साइबर लैब (Cyber Lab)

घ– **परिचालन इकाई (Operations Unit)**

1–एसओजी (Special Operation Group)
2–स्वाट (SWAT)

- उपरोक्त इकाईयों/प्रकोष्ठों के कार्यों का पर्यवेक्षण अपराध शाखा के प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध द्वारा किया जायेगा। जिन जनपदों में अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध के पद स्वीकृत नहीं हैं, उन जनपदों में मुख्यालय पर नियुक्त पुलिस कार्यालय के प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा के कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे।

काइम ब्रान्च की विभिन्न इकाईयों/प्रकोष्ठों के कार्य एवं उत्तरदायित्व

क– **अभिसूचना इकाई (Intelligence Unit)**

गम्भीर व सनसनीखेज हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती या चोरी की घटनाओं के अनावरण, जाली मुद्रा के प्रचलन, अवैध शस्त्रों की तस्करी व अभियुक्तों के संबंध में आपराधिक अभिसूचना संकलन व सर्विलांस का कार्य किया जायेगा। इस इकाई द्वारा घटित घटनाओं के अतिरिक्त जनपद में बड़े अपराधों की रोकथाम हेतु पूर्व में अपराधों में लिप्त अपराधियों को चिन्हित कर उनकी गतिविधियों की जानकारी व निगरानी की जायेगी। इस हेतु सर्विलान्स सेल से भी यथावश्यक सहयोग प्राप्त किया जायेगा। अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध अभिसूचना इकाई के कर्मियों को स्वविवेक से बड़े अपराधियों/माफियाओं की गतिविधियों की अभिसूचना हेतु नामवार आवंटित करेंगे। इस इकाई में नियुक्त कर्मी आवंटित किये बगैर अभिसूचना संकलन का कार्य नहीं करेंगे।

अभिसूचना इकाई द्वारा जनपद के थानों के साथ समन्वय बनाकर अपराधों की रोकथाम हेतु अपना उचित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

ख– **विवेचना इकाई (Investigation Unit)**

विवेचना इकाई को जनपद के समस्त अज्ञात मामले विवेचना हेतु सुपुर्द किये जायेंगे। इसके द्वारा विवेचना करने के साथ ही समस्त प्रकार के अभिलेखों का अभिलेखीकरण भी किया जायेगा। इस इकाई के अन्तर्गत 03 प्रकोष्ठ यथा–गम्भीर अपराध प्रकोष्ठ (Serious Crime Cell), आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (Financial Fraud Cell), साइबर अपराध प्रकोष्ठ (Cyber Crime Cell) होंगे।

1) गम्भीर अपराध प्रकोष्ठः–हत्या, नकबजनी, वाहन चोरी, महिलाओं के प्रति अपराध, लूट, डकैती, साइबर अपराध, संगठित अपराध, छल एवं जालसाजी के मामलों की विवेचनाएं इस प्रकोष्ठ द्वारा की जायेंगी। निम्न अपराधों के घटित होने पर वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक तत्काल विवेचना को अपराध शाखा हस्तान्तरित करेंगेः–

- वे सभी हत्याएं जिनमें मृतक की शिनाख्त न हुयी हो,
- सभी अज्ञात बलात्कार,
- फिरौती हेतु अपहरण,

Scanned by CamScanner

- लूट/डकैती की वे सभी घटनाएं जिनमें माल से भरा ट्रक लूटा गया हो अथवा ट्रक से माल लूटा गया हो,
- 10 लाख से अधिक की डकैती एवं लूट के अपराध,
- रोड होल्डअप
- बैंक/पोस्ट आफिस लूट अथवा डकैती

2) आर्थिक अपराध प्रकोष्ठः—इस प्रकोष्ठ द्वारा निम्न अपराध की विवेचनाएं ग्रहण की जायेंगीः—

- समस्त आर्थिक धोखाधड़ी के अपराध
- FICN (जाली मुद्रा) के अपराध

3) संगठित अपराध प्रकोष्ठ (Organised Crime Cell)—इस प्रकोष्ठ के अन्तर्गत संगठित अपराध से संबंधित डेटा एकत्र किया जायेगा, उनका विश्लेषण एवं अनुसंधान किया जायेगा। संगठित अपराध प्रकोष्ठ में अर्न्तजनपदीय अथवा अर्न्तराज्यीय अथवा संगठित अपराधों से संबंधित सूचना संकलन एवं वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

4) साइबर अपराध प्रकोष्ठः—इस प्रकोष्ठ द्वारा आई0टी0 एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत समस्त अपराधों के अभियोगों की विवेचना की जायेगी। आई0टी0 एक्ट के अभियोगों को निरीक्षक स्तर के अधिकारी से कराये जाने का विधिक प्राविधान है। इस प्रकोष्ठ में नियुक्त कर्मी/विवेचक साइबर अपराधों में पूर्णतया प्रशिक्षित एवं दक्ष होंगे।

उपरोक्त अभियोगों के अतिरिक्त जनपदीय वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी अपराध की विवेचना परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक के अनुमोदन के उपरान्त अपराध शाखा को स्थानान्तरित कर सकते हैं, परन्तु यह विवेचनाएं केवल निम्नलिखित कारणों से ही अपराध शाखा को दी जायेंगीः—

- अर्न्तजनपदीय व अर्न्तराज्यीय अथवा संगठित अपराध।
- गम्भीर व सनसनीखेज हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती या चोरी।
- ऐसे प्रकरण जिसमें अभियुक्त नामजद हो, परन्तु उसकी संलिप्तता पर प्रश्न चिन्ह हो।
- ऐसी विवेचनाएं जो थानाध्यक्ष के प्रयास के उपरान्त भी 30 दिवस के अन्दर अनावरित न हुई हो। परन्तु प्रत्येक ऐसे प्रकरण में प्रारम्भिक जांच आदेशित की जायेगी और गुण—दोष के आधार पर थानाध्यक्ष के विरूद्ध अवश्य कार्यवाही की जायेगी।

अपराध शाखा की विवेचना के दौरान थानाध्यक्ष द्वारा तहरीर गिरफ्तारी प्राप्त होने पर अभियुक्त की गिरफ्तारी, एन0बी0डब्ल्यू0 के विरूद्व कार्यवाही, कुर्की की कार्यवाही, गिरफ्तारी हेतु दबिश इत्यादि की कार्यवाही की जायेगी। थानाध्यक्ष द्वारा उपरोक्त सभी कार्यवाहियों से संबंधित केस डायरी किता की जायेगी, जो कि अपराध शाखा के विवेचक द्वारा किता की गयी केसडायरी का भाग बनेगी। यदि संदिग्ध व्यक्तियों की पूंछताछ की कार्यवाही भी थानाध्यक्ष द्वारा की जाती है तो उससे संबंधित केस डायरी भी इन्हीं के द्वारा लिखी जायेगी।

ग— सहवर्ती इकाई (Support Unit)

1) डिस्ट्रिक क्राइम रिकार्ड ब्यूरो (DCRB)—इस प्रकोष्ठ द्वारा विभिन्न प्रकार के अपराधों के आंकड़े तथा अपराधियों के विवरण संकलित कर उनका अभिलेखीकरण किया जायेगा। साथ ही इन आंकड़ों का अध्ययन कर विश्लेषण एवं अनुसंधान किया जायेगा, जिससे जनपद में घटित अपराधों के स्वरूप, स्थिति एवं प्रकार की जानकारी की जा सकेगी। वेब बेस्ड क्राइम मैपिंग की कार्यवाही भी इस प्रकोष्ठ द्वारा की जायेगी।

2) एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU)— इस प्रकोष्ठ द्वारा मानव तस्करी से संबंधित समस्त अभियोगों की विवेचना के साथ उनका अभिलेखीकरण व रख रखाव किया जायेगा। मानव तस्करी की रोकथाम हेतु जनपद के थानों एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही की जायेगी।

Scanned by CamScanner

3) किशोर न्याय एवं कल्याण इकाई (Juvenile Justice Unit)–किशोर अपराधों से संबंधित अभियोगों का विवरण एवं उनका अभिलेखीकरण इस प्रकोष्ठ द्वारा किया जायेगा।

4) गुमशुदा व्यक्ति प्रकोष्ठ (Missing Person Cell)– इस प्रकोष्ठ द्वारा गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित विवरण एवं उनका अभिलेखीकरण किया जायेगा।

5) नारकोटिक्स सेल (Narcotics Cell)–स्वापक पदार्थों से संबंधित अपराधों का विवरण एवं रखरखाव इस प्रकोष्ठ द्वारा किया जायेगा। जनपद के थानों तथा नारकोटिक्स विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

6) डॉग स्क्वायड (Dog Squad)–किसी अज्ञात जघन्य घटना के घटित होने पर यह स्क्वाड तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर अपराधियों के द्वारा छोड़े गये सामग्री के आधार पर उनकी शिनाख्त की कार्यवाही करेगा।

7) फोरेंसिक साइंस फील्ड यूनिट (Forensic Science Field Unit)–जनपद में सनसनीखेज अपराध के घटित होने पर यह यूनिट शीघ्र घटना स्थल पर पहुंचेगा तथा वैज्ञानिक विधि से घटनास्थल पर मौजूद साक्ष्यों के संकलन की कार्यवाही करेगा।

8) साइबर लैब (Cyber Lab) – जनपद अपराध शाखा में स्थापित साइबर लैब में साइबर प्रशिक्षित कर्मी नियुक्त होंगे, जो साइबर क्राइम एवं आई0टी0 एक्ट के समस्त अभियोगों से संबंधित आवश्यक साइबर सूचनाएं उपलब्ध करायेंगे व इनका विश्लेषण का कार्य करेंगे।

<u>काइम ब्रान्च की विभिन्न इकाईयों का नियतन एवं अर्हताएं</u>

क– <u>अभिसूचना इकाई (Intelligence Unit)</u>

इन शाखाओं हेतु नियुक्त किये जाने वाले स्टाफ का मानक निम्नवत् होगा–

(1)	जनपद 'ए' श्रेणी	निरीक्षक–01 उ0नि0–02 एवं आरक्षी–08
(2)	जनपद 'बी' श्रेणी	उ0नि0–01 एवं आरक्षी–08
(3)	जनपद 'सी' श्रेणी	उ0नि0–01 एवं आरक्षी–06

ख– <u>विवेचना इकाई (Investigation Unit)</u>

इन शाखाओं हेतु नियुक्त किये जाने वाले स्टाफ का मानक निम्नवत् होगा–

(1)	जनपद 'ए' श्रेणी	निरीक्षक–04 उ0नि0–08 एवं आरक्षी–16
(2)	जनपद 'बी' श्रेणी	निरीक्षक–02 उ0नि0–04 एवं आरक्षी–10
(3)	जनपद 'सी' श्रेणी	निरीक्षक–01 उ0नि0–02 एवं आरक्षी–06

ग– <u>सहवर्ती इकाई (Support Unit)</u> – इस इकाई में पूर्व निर्गत निर्देशों के अनुसार समुचित संख्या में पुलिस कर्मी नियुक्त किये जाएंगे।

<u>नियुक्ति हेतु अर्हता–</u>

1– काइम ब्रान्च में किसी अधिकारी/कर्मचारी को नियुक्त करते समय यह देख लिया जाये कि कर्मी की सेवा अवधि कम से कम 05 वर्ष अवश्य शेष हो, ताकि प्रशिक्षित होकर विभाग के लिये उपयोगी हो सके।

2– जनपद में उपलब्ध निरीक्षक/उपनिरीक्षक की अपराध शाखा में नियुक्ति नियमित आवर्तन (Rotation Wise) अनुसार की जायेगी, जिसकी अवधि कम से कम 02 वर्ष की होगी। मुख्य आरक्षी/आरक्षी की नियुक्ति कम से कम 03 वर्ष की होगी।

<u>प्रशिक्षण–</u>

पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण द्वारा विवेचना शाखा के विभिन्न इकाईयों/प्रकोष्ठों यथा–सर्विलांस प्रकोष्ठ, गम्भीर अपराध प्रकोष्ठ, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, साइबर अपराध प्रकोष्ठ में नियुक्त अधिकारियों/कर्मियों को नियमित रूप से प्रतिष्ठित एवं ख्यातिलब्ध प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

Scanned by CamScanner

संसाधन–

क्राइम ब्रान्च के सुदृढ़ीकरण हेतु शासनादेश संख्या–4644, 4645 एवं 4015/6–पु–7–2014–119/2014, दिनांकित 31.12.2014 क्राइम ब्रान्च के वाहनों एवं उपकरणों के क्रय हेतु निर्गत हैं। आगे जैसे–जैसे धनराशि स्वीकृत होती जायेगी, संसाधन एवं उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे। वर्तमान में संसाधनों का मानक निम्नवत् रहेगाः–

1–	**वाहन मय चालक**		
	श्रेणी	**चार पहिया**	**दो पहिया**
(1)	जनपद 'ए' श्रेणी	04	08
(2)	जनपद 'बी' श्रेणी	03	06
(3)	जनपद 'सी' श्रेणी	02	04
2–	**कम्प्यूटर मय सहवर्ती उपकरण**		
	श्रेणी	**कम्प्यूटर की संख्या**	
(1)	जनपद 'ए' श्रेणी	08	
(2)	जनपद 'बी' श्रेणी	05	
(3)	जनपद 'सी' श्रेणी	03	
3–	**वायस लॉगर**		
(1)	जनपद 'ए' श्रेणी	04 अदद	
(2)	जनपद 'बी' श्रेणी	03 अदद	
(3)	जनपद 'सी' श्रेणी	02 अदद	
4–	**डिजिटल कैमरा**		
(1)	जनपद 'ए' श्रेणी	03 अदद	
(2)	जनपद 'बी' श्रेणी	02 अदद	
(3)	जनपद 'सी' श्रेणी	02 अदद	
5–	**लैपटाप**		
(1)	जनपद 'ए' श्रेणी	05 अदद	
(2)	जनपद 'बी' श्रेणी	03 अदद	
(3)	जनपद 'सी' श्रेणी	02 अदद	
6–	**मल्टी फक्शन डिवाइस**		
(1)	जनपद 'ए' श्रेणी	03 अदद	
(2)	जनपद 'बी' श्रेणी	02 अदद	
(3)	जनपद 'सी' श्रेणी	02 अदद	
7–	**आडियो वीडियो रिकार्डर**		
(1)	जनपद 'ए' श्रेणी	04 अदद	
(2)	जनपद 'बी' श्रेणी	03 अदद	
(3)	जनपद 'सी' श्रेणी	02 अदद	
8–	**स्पाई कैमरा रिकार्डर सहित**		
(1)	जनपद 'ए' श्रेणी	01 अदद	
(2)	जनपद 'बी' श्रेणी	01 अदद	
(3)	जनपद 'सी' श्रेणी	01 अदद	
9–	**फैक्स मशीन**		
(1)	जनपद 'ए' श्रेणी	01 अदद	
(2)	जनपद 'बी' श्रेणी	01 अदद	
(3)	जनपद 'सी' श्रेणी	01 अदद	

Scanned by CamScanner

10– आधुनिक उपकरणों सहित फॉरेंसिक किट

(1)	जनपद 'ए' श्रेणी	01 अदद
(2)	जनपद 'बी' श्रेणी	01 अदद
(3)	जनपद 'सी' श्रेणी	01 अदद

11– इन्टरनेट कनैक्शन (ब्राड बैण्ड) डेटा कार्ड सहित

(1)	जनपद 'ए' श्रेणी	01 अदद
(2)	जनपद 'बी' श्रेणी	01 अदद
(3)	जनपद 'सी' श्रेणी	01 अदद

12– टेलीफोन (बेसिक/सी0यू0जी0)

		बेसिक	सीयूजी
(1)	जनपद 'ए' श्रेणी	01 अदद	25 अदद
(2)	जनपद 'बी' श्रेणी	01 अदद	22 अदद
(3)	जनपद 'सी' श्रेणी	01 अदद	21 अदद

13– फोटोस्टेट मशीन

(1)	जनपद 'ए' श्रेणी	01 अदद
(2)	जनपद 'बी' श्रेणी	01 अदद
(3)	जनपद 'सी' श्रेणी	01 अदद

पर्यवेक्षण–

1– अपराध शाखा का पर्यवेक्षण अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध द्वारा किया जायेगा। उनके द्वारा माह में 02 बार विवेचकों का अर्दली रूम किया जायेगा।

2– वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा माह में एक बार समस्त कर्मियों का सम्मेलन व अर्दली रूम किया जायेगा।

3– पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक रेंज द्वारा 06 माह में एक बार अर्दली रूम किया जायेगा।

4– अपर पुलिस महानिदेशक जोन द्वारा वर्ष में 01 बार अर्दली रूम किया जायेगा।

सामान्य निर्देशः–

- जनपदों में पंजीकृत सनसनीखेज अपराध अथवा अन्य अपराध जो वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक के विवेकानुसार थाने से वर्कआउट होना सम्भव नहीं हैं, उन अभियोगों की विवेचना को अपराध शाखा से सम्पादित किये जाने के लिए समय से आवंटित कर दिया जाये, ताकि त्वरित गति से साक्ष्य संकलन की कार्यवाही कर उनका निस्तारण हो सके।
- जनपद की अपराध शाखा वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद के अधीन होगी तथा प्रभारी वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार ही इसमें विवेचनायें हस्तान्तरित होंगी। अतः अपराध शाखा का कार्यक्षेत्र पूरा जनपद होगा।
- अपराध शाखा के विवेचक की इस शाखा में कार्यावधि को थानाध्यक्ष के रूप में कार्यावधि माना जायेगा।
- अपराध शाखा में नियुक्त अधिकारियों की ड्यूटियां महामहिम राष्ट्रपति/माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन एवं गम्भीर कानून व्यवस्था की स्थिति/आपदा जैसे अपवाद स्वरूप ड्यूटी को छोड़कर सामान्यतया न लगायी जायें, जिससे इन अधिकारियों को अपने कार्य निष्पादन हेतु पर्याप्त समय मिल सके।
- अपराध शाखा के समस्त कर्मियों की रवानगी/वापसी हेतु जी0डी0 नियमित रूप से चलाई जायेगी।

Scanned by CamScanner

- जनपदीय वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध शाखा हेतु उचित एवं पर्याप्त स्थान/कार्यालय तथा फर्नीचर उपलब्ध कराये जायेंगे।

भवन–

जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा क्राइम ब्रान्च के भवनों के निर्माण कराये जाने हेतु भवनों का ले–आउट तैयार कर अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को प्रेषित किया जायेगा।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जनपदीय अपराध शाखा को अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाया जाये एवं विवेचनाओं को तकनीकी आधारित, समयबद्ध एवं गुणात्मक तरीकों से निस्तारण हेतु विशेषज्ञ इकाई के रूप में स्थापित किया जाये। जनपदीय पुलिस प्रभारी समय–समय पर अपराध गोष्ठी के माध्यम से इनका अनुश्रवण भी करते रहें। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन निर्देशों के अनुपालन में किसी प्रकार की त्रुटि/शिथिलता न हो।

भवदीय

22/5/18

(चन्द्र प्रकाश)

O/C Ratnesh ASI(M)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद (नाम से)
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
3. पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
6. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ0प्र0, लखनऊ। 23-5-18
7. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
8. पुलिस महानिरीक्षक, अपराध, उ0प्र0, लखनऊ। 23-5-18
9. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, उ0प्र0।
10. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

Scanned by CamScanner